प्रेस नोट–113 / 2026
दिनांक 24.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की गोण्डा इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 24.02.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोण्डा इकाई** द्वारा **कनिष्ठ सहायक श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (कार्यालय जिला कृषि अधिकारी श्रावस्ती)** निवासी कस्बा सैदपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर से वेतन भत्तों का भुगतान कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में विकास भवन श्रावस्ती परिसर स्थित चाय कैंटीन के पास से **कनिष्ठ सहायक सुनील कुमार मौर्य (कार्यालय जिला कृषि अधिकारी श्रावस्ती)** पुत्र स्व0 तुलसी राम मौर्य निवासी मोहल्ला बेचूबाबा इकौना थाना व तहसील इकौना जनपद श्रावस्ती को **05 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–114/2026
दिनांक 24.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई

- **घटना का अनावरण**
- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 66 हजार रूपये नगद**
- **लूटे गये पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **01 राउटर, 01 डीवीआर**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 23.02.2026 को थाना कोतवाली उरई व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इगलाशपुरा चौराहे के पास से 1–खलक उर्फ खेमा 2–कल्लू 3–सुरेन्द्र 4–वीर 5–अमित 6–अभियुक्ता को गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 66 हजार रूपये नगद, लूटे गये पीली–सफेद धातु के आभूषण, 01 राउटर, 01 डीवीआर, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18/19.02.2026 को थाना कोतवाली उरई क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा डकैती की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त खलक उर्फ खेमा के विरूद्ध जनपद जालौन, झाँसी, हमीरपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त कल्लू के विरूद्ध जनपद हमीरपुर, जालौन के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त सुरेन्द्र के विरूद्ध जनपद हमीरपुर, जालौन के विभिन्न थानो में डकैती, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–खलक उर्फ खेमा निवासी ग्राम उपरेहका थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर।

2–कल्लू निवासी ग्राम उपरेहका थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर।

3–सुरेन्द्र निवासी ग्राम पुरैनी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर।

4–वीर निवासी ग्राम बिसवारी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर।

5–अमित निवासी ग्राम इटैलिया बाजा थाना जरिया जनपद हमीरपुर।

6–अभियुक्ता।

<u>बरामदगी</u>

1–लूटे गये 66 हजार रूपये नगद।

2–लूटे गये पीली–सफेद धातु के आभूषण।

3–01 राउटर, 01 डीवीआर।

4–04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

<u>जनपद मीरजापुर/थाना अदलहाट</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 04 ट्रैक्टर, 03 ट्रॉली**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 23.02.2026 को थाना अदलहाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विशेषरपुर माफी हाइवे से 04 अभियुक्तों 1–रिषू 2–रविशंकर उर्फ मंटू 3–आशीष कुमार उर्फ गोलू 4–आदित्य उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 04 ट्रैक्टर, 03 ट्रॉली, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जनपद मीरजापुर व आसपास के जनपदों तथा अन्य प्रदेशों से ट्रैक्टर, ट्रॉली चोरी कर, कटवा कर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना अदलहाट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिषू निवासी भदौली थाना कुदरा जनपद कैमूर बिहार।

2–रविशंकर उर्फ मंटू निवासी अमरपुरा थाना मोहनिया,जनपद कैमूर भभूआ, बिहार।

3–आशीष कुमार उर्फ गोलू निवासी अमरपुरा थाना मोहनिया कैमूर भभूआ बिहार।

4–आदित्य उर्फ पप्पू निवासी करजी थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर।

बरामदगी

1–चोरी के 04 ट्रैक्टर, 03 ट्रॉली, 01 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद हमीरपुर/थाना राठ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 09–09 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना राठ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/149/307/504/506/147/148 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–धीरेन्द्र 2–वीरसिंह 3–रामकिशोरी 4–रामभरत 5–शत्रुघ्न को आजीवन कारावास व 09–09 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना महरूआ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना महरूआ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/120बी/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अजय प्रताप 2–अजय को आजीवन कारावास व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड व धारा 302/201/120बी/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मुलायम को आजीवन कारावास व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद रामपुर/थाना शहजादनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रामपुर द्वारा थाना शहजादनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामसिंह को आजीवन कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जानगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना खुर्जानगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 395/412 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मोनू 2–महेश 3–रनवीर को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना लोनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गाजियाबाद द्वारा थाना लोनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अलीशेर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————